भारत सरकार / Government of India

सरकारी राजपत्र
OFFICIAL GAZETTE

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन
U.T. ADMINISTRATION OF DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU

श्रेणी - २
SERIES - II

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित / PUBLISHED BY AUHTORITY

Daman 15th March, 2024 25 Phalguna, 1945 (Saka) No. : 08

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन
समाज कल्याण विभाग,
जिला न्यायालय परिसर, फोर्ट एरिया, मोटी दमण – 396220

सं. एसडब्ल्यू/आरपीडब्ल्यूडी/2023-24/493. **दिनांक :- 05/02/2024.**

अधिसूचना

जबकि भारत सरकार के राजपत्र में जी.एस.आर. 2019(ई), दिनांक 08 मार्च, 2029 के जरिए एक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी ।

इसलिए अब गृह मंत्रालय की अधिसूचना फा.सं. यू-11030/1/2016-यूटीएल, दिनांक 12/12/2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव एतद्द्वारा दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2021 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् –

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2021 में अध्याय-VIII के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

''अध्याय VIII ए''

26 ए. (1) संघ प्रदेश प्रशासन एक प्राधिकारी अधिसूचित करेगा जिसको बेंचमार्क दिव्यांगता वाला व्यक्ति अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (ए) के अनुसार उच्च सहायता की आवश्यकता के लिए आवेदन कर सकता है ।

(2) केवल बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति, जिसके पास स्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र हो, उच्च सहायता की आवश्यकता के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे ।

(3) संघ प्रदेश प्रशासन निम्नलिखित को शामिल करते हुए बेंचमार्क दिव्यांगों की संख्या के आधार पर जिला स्तर पर एक निर्धारण बोर्ड (Assessment Board) गठित करेगा :-

(क) जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी या सिविल सर्जन या चिकित्सा अधीक्षक ...... अध्यक्ष;

(ख) जिला समाज कल्याण अधिकारी/सीडीपीओ (जैसा अध्यक्ष द्वारा नामित हो) .... सदस्य;

(ग) पांच पुनर्वास विशेषज्ञ [शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास या हड्डी विशेषज्ञ, नाक-कान-गला विशेषज्ञ, नेत्र-विशेषज्ञ, सामान्य चिकित्सक (यदि आवेदक 18 साल या उससे ऊपर का है) या बाल चिकित्सक (यदि आवेदक 18 साल से कम का हो, मनोचिकित्सक]....... सदस्य;

(घ) ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या वाक् थेरेपिस्ट या नैदानिक मनोचिकित्सक या फिजियोथेरेपिस्ट (आवश्यकतानुसार) .... सदस्य;

(ड़) कोई अन्य विशेषज्ञ, जिसे अध्यक्ष उचित समझें .... सदस्य.

(4) उप नियम (1) के तहत अधिसूचित प्राधिकारी आवेदक की उच्च सहायता की आवश्यकता वाले प्रत्येक मामले को मूल्यांकन हेतु निर्धारण बोर्ड को भेजेगा ।

(5) निर्धारण बोर्ड उच्च सहायता की आवश्यकता वाले आवेदक को मूल्यांकन हेतु आमंत्रित करेगा और यदि आवश्यक हो तो नैदानिक मूल्यांकन कर सकता है ।

(6) निर्धारण बोर्ड छह मापदंडों के आधार पर आवेदक का मूल्यांकन करेगा और निम्नांकित 100 बिन्दु ग्रेडिड अधिभार के आधार पर अंकों का निर्धारण करेगा :-

मापदंड		अधिभार
(क)शारीरिक दिव्यांगता की गंभीरता (अधिकतम अधिभार – 25)	(क)40% - 59% (ख) 60% - 79% (ग) 80% - 100%	15 20 25

(ख) मानसिक/विकासात्मक दिव्यांगता की गंभीरता (जो किसी सूचित निर्णय के लिए व्यक्ति को प्रतिबंधित करती है) (अधिकतम अधिभार – 25)	(क)40% - 59% (ख) 60% - 79% (ग)80% - 100%	15 20 25
(ग)व्यक्ति की दैनिक गतिविधियों में किस हद तक बाधा आती है (अधिकतम अधिभार – 35)	(1) स्नान, मंजन, कंघी करना, कपड़े पहनना । (2) शौचालय स्वच्छता (शौचालय जाना, स्वयं हाथ धोना, बैकअप आदि प्राप्त करना) (3) कार्यात्मक गतिशिलता (कार्य करने की क्षमता, बिस्तर पर लेटना और उठना, कुर्सी पर बैठना और उठना, क्रियाकलापों के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ।) (4) अपने हाथ से भोजन करना (खाना बनाना शामिल नहीं है)	10 10 10 05
(घ)संज्ञानात्मक क्षमताएं जैसे यातायात, लॉजिस्टिक, गैजेट्स के इस्तेमाल में सुरक्षा उपाय संबंधित सावधानी बरतना, गुम न होने की क्षमता । (अधिकतम अधिभार – 5)	-	05
(ङ) वातावरण बाधाएं जैसे स्वास्थ्य देखभाल केंद्र अथवा पुनर्वास सहायता प्रणाली अथवा स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूति तक पहुंच । (अधिकतम अधिभार – 5)	-	05
(च)सामाजिक-आर्थिक स्थिति (अधिकतम अधिभार – 5)	गरीबी रेखा से ऊपर गरीबी रेखा से नीचे	0 05
योग		**100**

(7) निर्धारण बोर्ड उप-नियम (6) में अंकित 100 अंकों में से 60 अंक पाने वाले किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगजन को उच्च सहायता की आवश्यकता के लिए सिफारिश कर सकता है ।

(8) निर्धारण बोर्ड अधिसूचित प्राधिकारी को मूल्यांकन के लिए उस प्राधिकारी से प्राप्त अनुरोध की तारीख से 90 दिनों की अवधि में अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगा ।

(9) संघ प्रदेश प्रशासन ऐसे बेंचमार्क दिव्यांगजनों को अधिक सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित योजनाएं विकसित कर सकता है ।

(10) उप-नियम (1) के तहत अधिसूचित प्राधिकारी संघ प्रदेश प्रशासन की योजनाओं/कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए, जो मामला हो, निर्धारण बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर आवेदनों पर उच्च सहायता की आवश्यकता के लिए विचार करेंगे ।

ह/–
निदेशक-सह-उप सचिव
एसडब्ल्यू/डब्ल्यूसीडी, दानह तथा दमण एवं दीव

UT Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu
Social Welfare Department
District Court Premises, Fort Area, Moti Daman - 396220

No. SW/RPWD/2023-24/493 **Date: 05/02/2024**

NOTIFICATION

Whereas a Notification vide G.S.R 2019(E) dated 8th March, 2019 was publish in Official Gazette of India.

Now therefore in exercise of powers conferred to Administrator of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu by Ministry of Home Affairs vide notification F.No. U-11030/1/2016-UTL dated 12.12.2017, the UT Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu hereby makes the following Rules to amend the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Rights of Persons with Disabilities Rules, 2021 namely:

1. Short title, extent and commencement: - (1) These rules may be called the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Rights of Persons with Disabilities Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules, 2021 after Chapter VIII, the following Chapter shall be inserted, namely:-

"CHAPTER VIII A"

26A. (1) The UT Administration shall notify the authority to whom a person with benchmark disability can apply for the high support requirement as per sub-section (1) of Section 38 of the Act.

(2) Only the persons with benchmark disabilities having permanent certificate of disability shall be eligible for applying for high support requirement.

(3) The UT Administration shall constitute Assessment Board at the District Level based on the number of persons with benchmark disabilities comprising the following:-

(a)District Chief Medical Officer or Civil Surgeon or Medical Superintendent...........................Chairperson;

(b)District Social Welfare Officer/CDPO (as nominated by chairperson)……………………Member;

(c) Five rehabilitation specialists [Physical Medicine and Rehabilitation or Orthopaedic specialist, ENT specialist, Ophthalmologist, General Physician (if the applicant is 18 years or above) or Paediatrician (if the applicant is less than 18 years), Psychiatrist]……………Members;

(d) Occupational therapist or speech therapist or Clinical Psychologist or Physiotherapist (as per requirement)………………Member;

(e) Any other expert as the Chairperson deems appropriate…………Member.

(4) The authority notified under sub-rule (1) shall refer every case to the Assessment Board for assessment of applicant's high support requirement.

(5) The Assessment Board shall invite the applicant of high support requirements for assessment and may, if necessary, seek clinical assessment.

(6) The Assessment Board shall Assess the Applicant on the basis of the Six parameters (a) to (f) and assign scores on the basis of the 100 point graded weightage indicated below:-

Parameters		**Weightage**
(a) Severity of Physical disability (Max. weightage – 25)	(a) 40%-59% (b) 60%-79% (c) 80%-100%	15 20 25
(b) Severity of mental/ development disability (which restricts the person to take any informed decision) (Max. weightage -25)	(a) 40%-59% (b) 60%-79% (c) 80%-100%	15 20 25

(c) The Extent to which daily activities in a person is hampered (Max. weightage – 35)	i. Bathing, Brushing, Combing, Dressing ii. Toilet hygiene (getting to the toilet, cleaning oneself, getting back up etc) iii. Functional mobility (ability to work, get in and out of bed, get in and out of a chair, moving from one place to other while performing activities) iv. Self-feeding (not including cooking)	10 10 10 5
(d) Cognitive Abilities like ability to take safety measures to use transport, logistics, gadgets, not to get lost (Max. weightage – 5)	-	5
(e) Environmental Barriers like access to health care or support systems for rehabilitation or health needs (Max. weightage – 5)	-	5
(f) Socio-economic status (Max. weightage – 5)	APL BPL	0 5
Total		100

(7) Any person with benchmark disability with a score 60 out of 100 point mentioned in sub-rule(6) may be recommended by the Assessment Board for high support needs.

(8) The Assessment Board shall submit its recommendations to the authority notified under sub-rule (1) within a period of 90 days from the date of receiving request for assessment from the said authority.

(9) The Union Territory Administration may develop dedicated schemes to provide high support to such persons with benchmark disabilities.

(10) The authority notified under sub-rule (1) shall consider the application for high support requirement on the basis of the recommendations of the Assessment Board keeping in view the schemes or programmes of the Union Territory Administration, as the case may be.”

Sd/–
Director-cum-Deputy Secretary
SW/WCD, DNH & DD

***